

(4)

7. Distinction between negotiation and mediation. Explain the Law relating to resort to Judicial proceedings and costs under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

वार्ता और मध्यस्थता के बीच भेद कीजिए। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही का समागम एवं खर्च से सम्बन्धित विधि की व्याख्या कीजिए।

Unit-IV / इकाई-IV 7½

8. Discuss the provisions relating to 'rulemaking power' under the Arbitration and conciliation Act, 1996. Refer to decided cases.

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत 'नियम बनाने की शक्ति' से सम्बन्धित प्रावधानों का विवेचन कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए।

9. Define 'Legal Service' and discuss the scope of the legal Services Authorities Act, 1987 विधिक सेवा को परिभाषित कीजिए तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के विस्तार की विवेचना कीजिए।

A

(Printed Pages 4)

Roll No. _____

L-1234

**LL.B. (Semester-VI) Examination, 2015
(Old Course)**

**Law of Arbitration & Conciliation & ADR
System-II
Paper-III**

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 50

Note : Answer **five** questions in all. Question **No.1 is compulsory** and attempt **one** question from each Unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है तथा प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

1. Write short notes on the following : 20
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
- Impartiality of the arbitrator
मध्यस्थ की निष्पक्षता
 - Consent of parties
पक्षकारों की सहमति
 - Foreign award when binding under Arbitration and conciliation Act, 1996.
माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट कब बाध्यकारी है?

(2)

- (iv) Appealable order under New York convention Award.
न्यूयार्क अभिसमय पंचाट के अन्तर्गत अपीलीय आदेश
- (v) Conciliation
सुलह
- (vi) Appointment of conciliator
सुलहकर्ता की नियुक्ति
- (vii) Suggestions by parties
पक्षकारों द्वारा सुझाव
- (viii) Duty of the parties to Co-operate
सहयोग करने हेतु पक्षकारों का कर्तव्य
- (ix) Powers of Lok Adalat
लोक अदालत की शक्तियाँ
- (x) Award
पंचाट

Unit-I / इकाई-I

7½

2. Explain the breach of confidentiality, bar of limitation and Res judicata under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम् 1996 के अन्तर्गत गोपनीयता भंग, परिसीमा का वर्जन एवं पूर्वन्याय की व्याख्या कीजिए।
3. Discuss the enforcement, appeal and revision of the arbitral Award.
माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन, अपील एवं संशोधन की विवेचना कीजिए।

L-1234

(3)

Unit-II / इकाई-II

7½

4. Define court. Discuss the Law relating to power of Judicial Authority to refer parties to arbitration and evidence under the New York Convention Award.
'न्यायालय' को परिभाषित कीजिए। न्यूयार्क अभिसमय पंचाट के अन्तर्गत माध्यस्थम् के पक्षकारों को निर्देशित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति एवं साक्ष्य से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए।
5. Distinguish between domestic and foreign award. Discuss the general provisions relating to 'Geneva Convention Award' under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
घरेलू एवं विदेशी पंचाट के बीच भेद कीजिए। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत 'जिनेवा अभिसमय पंचाट' से सम्बन्धित सामान्य उपबन्धों की विवेचना कीजिए।

Unit-III / इकाई-III

7½

6. Discuss the submission of statements to conciliator and interaction between conciliator and parties under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सुलहकर्ता को कथनों का प्रस्तुतिकरण एवं सुलहकर्ता तथा पक्षकारों के बीच बातचीत की विवेचना कीजिए।

L-1234

P.T.O.